# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 167 / 2016** **दायर दिनांकः 15.07.2016**

## उनवान

**1.** चतुर्भुज आयु 55 वर्ष पुत्र गेन्दीलाल जाति माली निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादी**

**बनाम**

1. प्रमोद कुमार आयु 56 वर्ष पुत्र जोरावरमल जाति महाजन निवासी साबुनवालाल गायत्री जनरल स्टोर के सामने वाली गली सदर बाजार बारां जिला बारां राज0।
2. चन्द्रप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र टीकमचन्द जाति महाजन निवासी मनु ज्वेलर्स सर्राफा बाजार बारां जिला बारां।
3. ललित कुमार आयु 52 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी राधाकृष्ण कोलोनी मकान शिव सुन्दरम ओवर ब्रिज के नीचे कोटा रोड बारां तहसील बारां जिला बारां।
4. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां।
5. उप पंजीयक महोदय, कार्यालय तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट**

**एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट**

**उपस्थिति :—**

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

**आदेश** दिनाकः 28 / 03 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी वाके ग्राम काचरी तहसील अटरू का निवासी है। वादी ने वाके ग्राम खेडलीगंज तहसील अटरू में खाता संख्या 75 का ख0नं0 317 रकबा 0.69 है0 आराजी में प्लाट नं0 36 साईज 50X 25 वर्गफुट का भुखण्ड दिनांक 20.03.03 को 25000 / — रूपये में क्रय कर उक्त दिनांक को उप पंजीयक

महोदय, अटरू के समक्ष रजिस्ट्री करवाकर कब्जा प्राप्त करा लिया था जो भूखण्ड की जगह प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के शामलाती खाते में थी। उक्त बेचान वादी ने ख0नं0 317 का रकबा 0.69 है0 में से 0.01 है0 आराजी का किया था लेकिन वक्त बेचान की रजिस्ट्री की डीड राईडर द्वारा ख0नं0 317 का रकबा 0.69 है0 के बजाय उक्त रजिस्ट्री में ख0नं0 316 दर्ज कर दिया जबकि रकबा ख0नं0 0.69 है0 दर्ज किया गया था। उक्त रजिस्ट्री के बाद इंतकाल नं0 205 दिनांक 20. 05.03 से उक्त आराजी पर वादी का नाम 316 का रकबा 0.01 है0 पर दर्ज हुआ जो गलत दर्ज हो गया है। जबकि वादी ने उक्त भूखण्ड ख0नं0 317 का रकबा 0.69 है0 आराजी में भूखण्ड नं0 36 का सोदा किया था तथा उसी पर काबिज चला आ रहा है। वादी के भूखण्ड के आस–पास में जिने भी भूखण्ड है वह दिशाओं से साबित है कि वादी ने ख0नं0 317 का रकबा 0.69 है0 में ही भूखण्ड क्रय किया है। लेकिन वक्त रजिस्ट्री लिखावट में ख0नं0 316 गलत रूप से दर्ज किया गया जबकि ख0नं0 316 का रकबा 0.26 है0 ही होता है। वादी उक्त गलती को सही करवाने का अधिकारी है वादी ने उक्त गलती को सही करवाने के लिये प्रतिवादीगणों से कई बार मौखिक व लिखित रूप से निवेदन किया । लेकिन प्रतिवादीगण उक्त गलती को सही करवाने में टालमटूल कर रहे है। वादी को उक्त गलती की जानकारी होने पर दिनांक 16.05.2016 को प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 से मौखिक व लिखित निवेदन किया जाने पर अन्तिम बार दिनांक 14.6.2016 को राजस्व केम्प खेडलीगंज में दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करने पर व राजस्व अधिकारी द्वारा वाद पेश करने की सलाह देने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू व श्रीमान उप पंजीयक महोदय, अटरू को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 4 व 5 बनाया गया है। जिन्हे धारा 80 सी.पी. सी. का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह का प्रेषित कर दिया है। परन्तु चूंकि मामला आवश्यक प्रकृति का है। इसलिये नोटिस की अवधि समाप्ति से पूर्व ही धारा 80 '2' सी.पी.सी. के पृथक से प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद पेष किया जा रहा है। विवादित स्थल ग्राम खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य व उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 में वर्णित भूखण्ड के ख0नं0 317 रकबा 0.69 है0 में वादी ने जो भूखण्ड क्रय किया है उसमें वक्त रजिस्ट्री हुई त्रुटि को दुरूस्त कर ख0नं0 317 दर्ज करने व नामान्तरण संख्या 205 दिनांक 20.05.03 को निरस्त कर वादी का नाम ख0नं0 317 पर दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी क्रम 4 व 5 को प्रदान किये जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 जिस तरह से लिखी गई है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण के खाते की आराजी खाता संख्या 104 का ख0नं0 315 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 317 का रकबा 0.62 है0, ख0नं0 318 का रकबा 0.02 है0, वाके ग्राम एवं माल खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है। प्रतिवादीगण के खाता संख्या 75 का ख0नं0 317 का रकबा 0.69 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। विक्रय विलेख में ख0नं0 तथा रकबा गलत दर्ज किया गया है। वाद पत्र की मद नं0 2 का विवरण स्वीकार नहीं है। वादी को यह जानकारी नहीं है कि उसने कौन से ख0नं0 में से किस रकबे को खरीदा है। वाद पत्र की मद नं0 3 जिस तरह लिखी गई है, स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है, क्योंकि माननीय न्यायालय वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को प्रदान नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में इन्द्राज को शुद्ध करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय तो राजस्व रिकार्ड में शुद्धी कर सकता है। या फिर कोई सेटलमेन्ट से कोई गलती हुई हो तो उसको शुद्ध कर सकता है। इस वजह से उक्त उनवान को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने की वजह से वाद काबिल निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। वादी के तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य कोई बातचीत विवादित बिन्दु को लेकर नहीं हुई है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है क्योंकि वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को सुनने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को उक्त वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है।

विशेष–कथन

वादी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज में दर्ज ख0नं0 तथा रकबा को सही कराने शुद्ध कराने का दावा पेश किया है। जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। इस वजह से वादी का वाद काबिल निरस्तनीय है। राजस्व न्यायालय मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत इन्द्राज को सही कर सकता है या सेटलमेन्ट द्वारा कोई गलती कानूनी तौर पर होती है तो उसे शुद्ध कर सकता है। इस वजह से माननीय न्यायालय को उक्त उनवान का वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने की वजह से वाद पत्र निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण जवाब दावा पेश कर निवेदन करते है कि वादी का वाद खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

3. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की जाती हैः–

**तनकी नं0 1–** आया वादी ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूखण्ड ख0नं0 317 का रकबा 0.69 है0 में से 0.01 है0 आराजी में प्लाट नं0 36 का क्रय किया था वक्त रजिस्ट्री डीड राईटर द्वारा ख0नं0 317 का रकबा 0.69 है0 के बजाय ख0नं0 316 दर्ज कर दिया है जबकि रकबा 0.69 है0 ही है वादी उक्त रजिस्ट्री की त्रुटि ख0नं0 316 को दुरूस्त करवाकर ख0नं0 317 दर्ज करवाना चाहता है।

वादी

**तनकी नं0 2–** आया वादी नामान्तरण संख्या 20.05.03 को निरस्त करवाकर अपना नाम ख0नं0 317 पर दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी

**तनकी नं0 3–** आया वादी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज में दर्ज ख0नं0 तथा रकबा को सही कराने का दावा पेश किया है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है।

प्रतिवादी

**तनकी नं0 4–** आया राजस्व न्यायालय मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत इन्द्राज को सही कर सकता है या सेटलमेन्ट की गलती को सही कर सकता है इसलिये इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है।

प्रतिवादी

**तनकी नं0 5–** अनुतोष क्या होगा–

4. साक्ष्यवादी के तहत PW1 का शपथ पत्र पेश किया गया और रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई। साक्ष्यप्रतिवादी हेतु करीब 14 अवसर प्रदान किये गये लेकिन साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये जाने से साक्ष्यप्रतिवादी बन्द किये गये।

5. अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

**तनकी नं0 1–** आया वादी ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूखण्ड ख0नं0 317 का रकबा 0.69 है0 में से 0.01 है0 आराजी में प्लाट नं0 36 का क्रय किया था वक्त रजिस्ट्री डीड राईटर द्वारा ख0नं0 317 का रकबा 0.69 है0 के बजाय ख0नं0 316 दर्ज कर दिया है जबकि रकबा 0.69 है0 ही है वादी उक्त रजिस्ट्री की त्रुटि ख0नं0 316 को दुरूस्त करवाकर ख0नं0 317 दर्ज करवाना चाहता है। इसे सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा पेश जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 से स्पष्ट है कि ग्राम खेडलीगंज के विवादित ख0नं0 316 रकबा 0.26 है0 एवं ख0नं0 317 रकबा 0.69 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खाते दर्ज थी। उक्त जमाबन्दी से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दोनों खसरा नम्बरान के 0.01 है0 के कई टुकडे कर प्लाट बेचान किये है। वादी द्वारा भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2003 प्रतिवादीगण से एक भूखण्ड रकबा 50X25 वर्गफुट 25000 रूपये में क्रय किया था। वादी द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2003 के अवलोकन से जाहिर होता है कि इसमें क्रय किये गये कृषि भूखण्ड का खाता संख्या, रकबा, भूखण्ड/प्लाट की संख्या एवं भूखण्ड की चतुर्थ दिशाऐं सही अंकित है, केवल ख0नं0 गलत अंकित किया हुआ है। ख0नं0 317 एवं 316 के खातेदार एक समान है और प्रतिवादीगण है। ख0नं0 317 का मूल रकबा 0.69 है0 जबकि ख0नं0 316 का मूल रकबा 0.26 है0 है। अतः विक्रय पत्र में ख0नं0 317 की जगह 316 अंकित होना एक टाईपिंग त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि मानी जा सकती है। उक्त संबंध में वादी द्वारा पेश ख0नं0 317 का ब्ल्यू प्रिंट नक्शा का अवलोकन महत्वपूर्ण है। उक्त ब्ल्यू प्रिंट के आधार पर जाहिर होता है कि वादी ने प्रतिवादीगण से ख0नं0 317 के भूखण्ड संख्या 36 क्रय किया था।

प्रतिवादीगण के जवाब दावे का भी अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में कहीं भी इस तथ्य का खण्डन नहीं किया की उन्होंने वादी को ख0नं0 317 मूल रकबा 0.69 है0 का भूखण्ड संख्या 36 का विक्रय नही किया। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान भी वादी के ख0नं0 317 के भूखण्ड संख्या 36 को क्रय किया जाना स्वीकार है। अभिभाषक

प्रतिवादीगण का मुख्य तर्क यह है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज में शुद्धी करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है।

अभिभाषक वादी ने तर्क किया कि वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को void or voidable घोषित कराने के लिए नहीं बल्कि दस्तावेज में हुई लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त कराने और इस त्रुटि के आधार पर खोले गये नामान्तरण को खारिज कराकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व 91 के अधीन वादी को ख0नं0 317 के क्रय भूखण्ड संख्या 36 के खातेदारी अधिकार के लिए न्यायालय में आये है। अपने समर्थन मे अभिभाषक वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207(2), धारा 207 के स्पष्टीकरण एवं धारा 209 के तहत न्यायालय को उपलब्ध शक्तियों पर बल दिया । अतः यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 207(2), धारा 207 के स्पष्टीकरण एवं धारा 209 का उल्लेख करना जरूरी है।

Sec. 207 (2) – No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any sit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suitor application.

Explaination:- If the cause of action is one respect of which relief might be granted by the revenue court, It is immaterial that the relief asked for from the civil court is greater than, or additional to, or is not identical with, that which the revenue court could have granted.

Sec. 209:- Granting any relief to which plaintiff is entitled- in any suit or proceeding, the court may, on the application of the plaintiff and after framing the necessary issues, grant, any relief which the court is competent to grant and to which it may find the plaintiff entitled, notwithstanding that such relief may not have been asked for in the plaint or application.

उक्त वाद में वादी का मुख्य अनुतोष गलत नामान्तरण को निरस्त करवाकर ख0नं0 317 के भूखण्ड संख्या 36 के खातेदारी अधिकार प्राप्त करना है जबकि रजिस्ट्री की लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कराना आनुषंगीक अनुतोष है। उक्त प्रश्न/अनुतोष के निर्धारण हेतु राजस्व न्यायालय की अधिकारिता को पिथ व सब्सटान्स के सिद्धान्त के आधार पर तय किया जाना उचित होगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न निर्णित करते समय केवल आरोप, दावे और अनुतोष को ही नहीं देखना चाहिए अपितु दावे के पूरे विस्तार और उसके मूलाधार व मूल भावना को भी दृष्टिगत रखकर सुनवाई करना न्योचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी नं0 2–** आया वादी नामान्तरण संख्या 20.05.03 को निरस्त करवाकर अपना नाम ख0नं0 317 पर दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं0 1 में किये विश्लेषण से जाहिर है कि वादी द्वारा ख0नं0 317 का भूखण्ड संख्या 36 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है। अतः उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखे बिना प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा ख0नं0 316 में खोला गया नामान्तरण संख्या 205 दिनांक 20.05. 2003 गलत एवं निरस्त योग्य है। अतः तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी नं0 3–** आया वादी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज में दर्ज ख0नं0 तथा रकबा को सही कराने का दावा पेश किया है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। इसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादी ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को void or voidable घोषित कराने के लिए नहीं बल्कि दस्तावेज में हुई लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त कराने के लिए वाद पेश किया है। तनकी नं0 1 में किये विवेचन से जाहिर है कि विक्रय पत्र में लिपीकीय त्रुटि हुई है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में कहीं भी इस तथ्य का खण्डन नहीं किया की उन्होंने वादी को ख0नं0 317 मूल रकबा 0.69 है0 का भूखण्ड संख्या 36 का विक्रय नही किया। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान भी वादी के ख0नं0 317 के भूखण्ड संख्या 36 को क्रय किया जाना स्वीकार किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207(2), धारा 207 के स्पष्टीकरण एवं धारा 209 की परिधी में एवं वाद की अनावश्यक बहुलता को रोकने के लिए उक्त टाईपिंग/लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय है। अतः तनकी नं0 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध यानी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी नं0 4–** आया राजस्व न्यायालय मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत इन्द्राज को सही कर सकता है या सेटलमेन्ट की गलती को सही कर सकता है इसलिये इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी नं0 1 व 3 में किये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध यानी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विवादित आराजी ख0नं0 317 के संबंध में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

## –::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का स्वीकार किया जाता है। ग्राम खेडलीगंज तहसील अटरू में ख0नं0 316 मूल रकबा 0.26 है0 भूमि के 0.01 है0 रकबे पर वादी के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या 205 दिनांक 20.05.2003 को खारिज किया जाता है और इसके स्थान पर ग्राम खेडलीगंज के ख0नं0 317 मूल रकबा 0.69 है0 के 0.01 है0 रकबे पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)**
**बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**
**प्रकरण सं0 167/2016**

**उनवान**

**1.** चतुर्भुज आयु 55 वर्ष पुत्र गेन्दीलाल जाति माली निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादी**

**बनाम**

1. प्रमोद कुमार आयु 56 वर्ष पुत्र जोरावरमल जाति महाजन निवासी साबुनवालाल गायत्री जनरल स्टोर के सामने वाली गली सदर बाजार बारां जिला बारां राज0।
2. चन्द्रप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र टीकमचन्द जाति महाजन निवासी मनु ज्वेलर्स सर्राफा बाजार बारां जिला बारां।
3. ललित कुमार आयु 52 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी राधाकृष्ण कोलोनी मकान शिव सुन्दरम ओवर ब्रिज के नीचे कोटा रोड बारां तहसील बारां जिला बारां।
4. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां।
5. उप पंजीयक महोदय, कार्यालय तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट**

**एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
बहाजिर :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खेडलीगंज तहसील अटरू में ख0नं0 316 मूल रकबा 0.26 है0 भूमि के 0.01 है0 रकबे पर वादी के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या 205 दिनांक 20.05.2003 को खारिज किया जाता है और इसके स्थान पर ग्राम खेडलीगंज के ख0नं0 317 मूल रकबा 0.69 है0 के 0.01 है0 रकबे पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **28.03.2022** को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| मुदई | | मुदालयह | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)